दिनांक 03.08.2026
प्रेस विज्ञप्ति 414/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद सोनभद्र/थाना बभनी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 62 लाख 22 हजार 500 रूपये कीमत के लूट के भारी मात्रा में सोना (225 ग्राम)– चाँदी (12 किलो 500 ग्राम) के आभूषण**
- **नगद रूपये आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 03.08.2026 को थाना बभनी, थाना दुद्धी, थाना म्योरपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अरझट पुलिया के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त पंकज घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया एवं एक बदमाश मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्ज/निशादेही से लगभग 62 लाख 22 हजार 500 रूपये कीमत के लूट के भारी मात्रा में सोना (225 ग्राम)– चाँदी (12 किलो 500 ग्राम) के आभूषण, नगद रूपये आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद सोनभद्र व मध्यप्रदेश के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना बभनी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना बभनी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पंकज निवासी धूरीताल थाना बैढ़न जनपद सिंगरौली मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लगभग 62 लाख 22 हजार 500 रूपये कीमत के लूट के भारी मात्रा में सोना (225 ग्राम)– चाँदी (12 किलो 500 ग्राम) के आभूषण।

2–नगद रूपये आदि।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद रामपुर/थाना कोतवाली

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के अवैध 473 ग्राम स्मैक व 2130 ग्राम स्मैक कट पाउडर**
- **71 हजार रूपये नगद**
- **08 मोबाइल फोन**
- **03 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2026 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हमसफर चौक से मिलक बेनजीर रोड, निर्माणाधीन पुल के पास से 05 अभियुक्तों 1–फाजिल 2–कासिम 3–जावेद उर्फ पोटा उर्फ गुड्डू 4–फैजान 5–इमरान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के अवैध 473 ग्राम स्मैक व 2130 ग्राम स्मैक कट पाउडर, 71 हजार रूपये नगद, 08 मोबाइल फोन, 03 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—फाजिल निवासी हाथी खाना चौराहा थाना कोतवाली जनपद रामपुर।

2—कासिम निवासी ग्राम पीपलसाना थाना भोजपुर जनपद मुरादाबाद।

3—जावेद उर्फ पोटा उर्फ गुड्डू निवासी मौ0 मैगजीन थाना सि0लाईन जनपद रामपुर।

4—फैजान निवासी मौ0 काली राख थाना काशीपुर,जनपद उधमसिहनगर उत्तराखण्ड।

5—इमरान निवासी ग्राम नानकार थाना गंज जनपद रामपुर।

<u>बरामदगी</u>

1—लगभग 01 करोड़ 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के अवैध 473 ग्राम स्मैक व 2130 ग्राम स्मैक कट पाउडर।

2—71 हजार रूपये नगद।

3—08 मोबाइल फोन।

4—03 दो पहिया वाहन आदि।

<u>कमिश्नरेट लखनऊ/थाना बिजनौर</u>

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **लगभग 05 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण**
- **5230/—रूपये नगद बरामद**

दिनांक 02.08.2026 को थाना बिजनौर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त शंकर कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 05 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की पीली—सफेद धातु के आभूषण, 5230/—रूपये, नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बिजनौर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध मे थाना बिजनौर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण आदि उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिजनौर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—शंकर कुमार निवासी रजनीखण्ड शारदानगर थाना आशियाना लखनऊ मूल निवासी ग्राम इमराहिमपुर थाना इमराहिमपुर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–लगभग 05 लाख रूपये (कीमत) की चोरी की पीली–सफेद धातु के आभूषण ।

2–5230/–रूपये नगद।

जनपद अयोध्या/थाना इनायतनगर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 08 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल की चेंचिस आदि बरामद**

दिनांक 03.08.2026 को थाना इनायतनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पूरे पाठक का पुरवा, भागीपुर के पास से 04 अभियुक्तों 1–अनीस कुमार उर्फ राजू 2–गंगाराम 3–अजय 4–विजेन्द्र कुमार उर्फ अतुल कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 08 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल की चेंचिस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त अजय के विरूद्ध जनपद अयोध्या के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग, अभियुक्त गंगाराम के विरूद्ध जनपद अयोध्या, सुल्तानपुर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 15 अभियोग एवं अभियुक्त विजेन्द्र कुमार उर्फ अतुल कुमार के विरूद्ध जनपद सुल्तानपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना इनायतनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अनीस कुमार उर्फ राजू निवासी ग्राम सोनवर्षा थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर।

2–गंगाराम निवासी लोधे का पुरवा धमसुवा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।

3–अजय निवासी धमसुवा थाना कुमारगंज जनपद अयोध्या।

4–विजेन्द्र कुमार उर्फ अतुल कुमार निवासी रैया थाना बल्दीराय जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1–चोरी की 08 मोटर साइकिल व 02 मोटर साइकिल की चेचिंस आदि।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना बण्डा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 22 ग्राम अवैध अफीम**
- **01 मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद**

दिनांक 02.08.2026 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गहलुईया पुल के पास से अभियुक्त युसुफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 22 ग्राम अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, नगद रूपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना बण्डा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–युसुफ निवासी ग्राम रतनपुर थाना शीशागढ़ जनपद बरेली।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 22 ग्राम अवैध अफीम।
2–01 मोबाइल फोन, नगद रूपये।

➢ **जनपद बलिया/थाना सुखपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बलिया द्वारा थाना सुखपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विजय को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **जनपद गोण्डा/थाना मनकापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोण्डा द्वारा थाना मनकापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 313/504/506 भादवि व

6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त फैय्याज उर्फ नक्कन को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 25/27 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शनि उर्फ सन्तोष को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अहिरौली (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अहिरौली पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376डी/506 भादवि 3(1)द, ध एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त संजय को आजीवन कारावास व 21 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————